संसद की विधायी प्रकिया

Legislative Procedure of the Parliament

साधारण विधेयक संबन्धी प्रक्रिया साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है

Procedure regarding Ordinary Bill An Ordinary Bill can be introduced in either House of Parliament by a Minister of the Government or a Member of Parliament

विधेयक	वर्ष	प्रधानमंत्री
दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002*	1961 1978 2002	जवाहर लाल नेहरू * मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

Procedure for passing a Money Bill

धन विधेयक को संविधान के अनु. 110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनु. 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।* अनु. 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

Money Bill is defined under Article 110 of the Constitution and special procedure is provided under Article 109 for its passing.* According to Article 109, Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.

इसे केवल लोक सभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किये जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है।

It is introduced only in the Lok Sabha. The President's consent is necessary before the Money Bill is introduced in the Lok Sabha. After being passed by the Lok Sabha, the Bill is sent to the Rajya Sabha for its recommendation. A certificate from the Lok Sabha Speaker stating that the Bill is a Money Bill is also attached to it.

राज्यसभा को विधेयक 14 दिन के अन्दर सिफारिश सहित या रहित लोकसभा को लौटाना होता है।* यदि राज्य सभा 14 दिन के अन्दर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है

The Rajya Sabha has to return the bill to the Lok Sabha within 14 days with or without recommendations.* If the Rajya Sabha does not return the Money Bill to the Lok Sabha within 14 days

तो भी उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।*

However, on the expiry of the said period, the bill is deemed to have been passed by both the Houses. The President cannot return the money bill for reconsideration, because it is presented in the Lok Sabha only with his prior permission.*

संविधान संशोधन विधेयक (The Constitution Amendment Bill)

संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Can be introduced in either House of the Parliament.

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Annual Financial Statement (Budget)

अनुच्छेद 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' के बारे में है। (2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किये जाते थे-

Article 112 is about the 'Annual Financial Statement' or 'Budget'. (Before 2017, two types of budgets were presented in India-

Art. 112 -> परिभाषा (Defination) => वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
=> वित्तमंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय प्रत्येक (every financial year) (1 April-31 March)

→ बजट को राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में पेश किया जाता है।

→ बजट
- आय (Income) =
- व्यय (Expenses) =

→ पहले रेल बजट और आम बजट को अलग-2 पेश किया जाता था।

→ 2017 में इन दोनों (रेल + आम बजट) का विलय (Merge) करके "आम बजट" नाम दिया गया।

⇒ भारतीय बजट का पिता → जेम्स विल्सन (1860 में भारत का पहला बजट पेश)

⇒ स्वतंत्र भारत का बजट पेश → आर० के० षणमुखम् चेट्टी

⇒ गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश → जॉन मथाई

⇒ बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री ⇒ इंदिरा गांधी ✓

⇒ भारत की पहली पूर्णकालिक (Full tenure) महिला वित्त मंत्री → निर्मला सीतारमण

⇒ सबसे अधिक बार बजट पेश → मोरारजी देसाई (10 बार)

II^nd => निर्मला सीतारमण (7 बार)

रेल बजट तथा आम बजट वर्ष 2017 में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया बजट में भारत सरकार की - आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है।

Railway Budget and General Budget In the year 2017, the Railway Budget was merged into the General Budget by the Narendra Modi Government. The budget contains details of the income and expenditure of the Government of India for the coming year and the financial policies of the government.

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

अनु. 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।*

Article 114 states that no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except through an Appropriation Bill.*

भारत की संचित निधि → control (नियंत्रण) → संसद → अनुमति (Permission)

प्रश्न काल (Question Hour)

कार्यवाही का प्रथम घण्टा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है।

The first hour of the proceedings (from 11 am to 12 noon) is called Question Hour. Questions are asked to the Council of Ministers for information on all kinds of national and international matters.

कौन प्रश्न पूछता है? => MP
प्रश्न किससे पूछा जाता है => मंत्री (Minister)

यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (1721 में) शुरू हुई थी। * भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी।

This process was first started in England (in 1721). * In India, the process of asking parliamentary questions was first started in the Indian Council Act of 1892.

(i) (तारांकित प्रश्न (Stared Question)

↳ * ↳ उत्तर (मौखिक)

(ii) (अतारांकित प्रश्न (Unstared Question)

↳ उत्तर → लिखित (written)

(iii) (अल्प सूचना प्रश्न Short Notice Questions)

अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है;

Short notice question relates to an immediate matter of public importance;

(शून्यकाल (Zero Hour)

प्रश्न काल के तुरन्त बाद का एक घण्टे का समय शून्य काल कहा जाता है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है इसे 'प्रश्न-उत्तर सत्र' भी कहा जाता है।*)भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' शब्द का उल्लेख नहीं है।

The one hour time immediately following the Question Hour is called Zero Hour. In this any question of public importance can be raised without prior notice. It is also called 'Question-Answer Session'.*) The term 'Zero Hour' is not mentioned in the Indian Parliamentary Procedure.

चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे (00 बजे) आरम्भ होता है अत: मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है। इसका आरम्भ 1962 मे किया गया तथा वर्तमान में शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाये जा सकते हैं

Since this time starts exactly at 12 noon (00 o'clock), the media has named it Zero Hour. Thus, Zero Hour is India's contribution to the parliamentary system. It was started in 1962 and currently a total of 20 cases can be raised during Zero Hour.

(अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।* अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

No-confidence motion is not mentioned in the Constitution of India. * No-confidence motion is associated only with the proceedings of the Lok Sabha. It is presented by the opposition party or opposition parties in the Lok Sabha.

(1) → बहुमत प्राप्त (दल)
सरकार

अविश्वास प्रस्ताव ⇒ किसके विरुद्ध पेश ⇒ सत्ताधारी दल (Ruling Party)
↳ सरकार के।

⇒ पेश कौन ⇒ विपक्षी दल
(opposition Party)

इसे LS में पेश करने के लिए LS के 50 सदस्यों का समर्थन (support) आवश्यक है।

⇒ अगर लोक सभा से पारित हो जाता है तो PM सहित मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसर्मथन आवश्यक है* इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है*

The no-confidence motion must be ratified by at least 50 members of the Lok Sabha. This motion expresses no confidence in the Council of Ministers.

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

After the discussion on the proposal is completed, the speaker puts it to vote in the Lok Sabha, and if this proposal is passed in the Lok Sabha then the Council of Ministers has to resign.

सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरु मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था।*

The first no-confidence motion was brought against the Jawaharlal Nehru cabinet by Acharya Kripalani in 1963.*

⇒ आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

⇒ अब तक २१ बार आ चुका है।

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियाँ कहते हैं। संसदीय समितियाँ वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं संसदीय समितियाँ एक प्रकार से 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती हैं

Much of the work of the Indian Parliament is done by the committees of the House, which are called Parliamentary Committees. Parliamentary Committees are an indispensable and integral part of the current system. Parliamentary Committees function as a kind of 'mini parliament'

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।*

This is the largest committee among the permanent committees of the Parliament. This committee is formed only in the Lok Sabha. It has a total of 30 members of the Lok Sabha, members of the Rajya Sabha are not included in it.*

समितियाँ - २ प्रकार (1) जो हमेशा कार्य करती है
स्थायी समितियां (Permanent Committee)
तदर्थ समितियाँ (Adhoc Comm.) ⇒ विशेष कार्य के लिए बनायी जाती है और कार्य समाप्त होने पर, समाप्त हो जाती है

सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्तमंत्री जान मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में हुआ था। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। अतः इसे 'स्थायी मितव्ययिता समिति' भी कहा जाता है।

This committee was first formed in 1950 on the recommendation of the then Finance Minister John Mathai. It recommends to stop government wasteful expenditure. Hence, it is also called 'Permanent Frugality Committee'.

लोक लेखा समिति The Public Accounts Committee

यह संसद की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से लिये जाते हैं।*

This is the most important and oldest financial committee of the Parliament. It was first constituted in 1921 under the Government of India Act 1919. This committee has a total of 22 members, out of which 15 members are taken from the Lok Sabha and 7 members are taken from the Rajya Sabha.*

लोकसभा अध्यक्ष, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। UPPCS: 2014)। 1967 से स्थापित परम्परा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इसका इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है। CAG को लोकलेखा समिति का मित्र व पथप्रदर्शक भी कहा जाता है

The Lok Sabha speaker nominates the chairman of the Public Accounts Committee. UPPCS: 2014). (According to the tradition established since 1967, a member of the opposition is made the chairman of this committee. Its tenure is one year. Its main objective is to bring the misuse and irregularities of public expenditure before the Parliament. CAG is also called the friend and guide of the Public Accounts Committee.

सरकारी उपक्रम समिति (The Committee on Public Undertakings)

सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर उक्त समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

Firstly in 1964, Krishna Menon Committee was formed, on whose recommendation the above committee was formed. This committee has a total of 22 members. Out of which 15 members are from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha, its tenure is of one year. Lok Sabha Speaker appoints one of the Lok Sabha members as the chairman of the committee.

राज्य विधान मण्डल The State Legislature

संविधान 6, अनु. 168-212 राज्यों के का भाग 6 विधानमण्डल के बारे में है। अनु. 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

Part 6 of the Constitution, Articles 168-212 deals with the state legislature. Article 168 states that each state will consist of two houses and other states will consist of one house.

वर्तमान में कुल 6 राज्यों यथा; उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तथा तेलंगाना द्वित्सदनीय विधानमण्डल हैं। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनु. 169 के अन्तर्गत संसद को है।

At present, a total of 6 states viz. Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana have bicameral legislature. Under Article 169, the Parliament has the right to establish or abolish the Legislative Council in the states.

यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है

If the Legislative Assembly of the concerned State passes a resolution to this effect by a majority of its total membership and a two-thirds majority of the members present and voting

तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है।

So the Parliament can establish or abolish the Legislative Council by making a law to that effect through the process of ordinary law making. Making such a law is not considered as a constitutional amendment.

(विधानसभा (Legislative Assembly)

संरचना या गठन (Composition)

राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी) परन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुदुचेरी इसके अपवाद हैं जिनकी विधान सभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40, 40, तथा 30 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की (403) है।*

The state will consist of a maximum of 500 and a minimum of 60 members elected by direct election from territorial constituencies) but the exceptions are Sikkim, Mizoram, Goa and Puducherry whose legislative assemblies have a number of members of 32, 40, 40, and 30 respectively. The largest assembly is that of Uttar Pradesh (403).*

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है

It is done through direct election system. Election of state legislative assemblies is conducted by the Election Commission of India.

84वें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा

84th Constitutional Amendment Act 2001

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of Members)

(अनु. 173) - वह भारत का नागरिक हो, ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो।

(Art. 173) - He must be a citizen of India and must possess such other qualifications as may be prescribed by any law made by Parliament.

सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय

Decision on disqualification of members

अनुच्छेद 192) के) अधीन कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा।

The question as to whether a member has become subject to any disqualification under article 192 shall be referred to the Governor who shall give his decision in consultation with the Election Commission.

(अनु. 172) कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित (Disolved) की जा सकती है। आपात काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(Article 172) The term of the Assembly is 5 years from the date of its first meeting. Even before this period, it can be dissolved by the Governor on the advice of the Chief Minister. If the declaration of emergency is in force, the Parliament can extend the term of the Assembly by law, which will not be more than one year at a time.

पदाधिकारी Officer

इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है।

Both of them are elected by the members of the Legislative Assembly from among their own members and their tenure is till the tenure of the Legislative Assembly. The Speaker can give his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker can give his resignation to the Speaker.

इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है* किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (जिनके विरुद्ध प्रस्ताव हो) को देना आवश्यक है

Both of them can be removed on the basis of a resolution passed by a simple majority of the members of the Legislative Assembly* but it is necessary to give notice of such a resolution 14 days in advance to the Speaker or Deputy Speaker (against whom the resolution is being made)

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य Powers and functions of the Chairman

वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

He presides over the meetings of the Assembly and conducts the proceedings of the House.

वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखता है?

He maintains peace and order in the House?

वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलम्बित कर सकता है?

Can he adjourn or suspend the proceedings of the House?

कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है।

The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है।

He puts a question to vote and announces the result.

यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है।*

If there are equal votes in favour and against a question, then he uses the 'casting vote'.*

(विधान परिषदं (Legislative Council)

विधान परिषद का गठन (Constitution of Legislative Council)

अनु. 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, किन्तु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक (100) सदस्य हैं।

Article 171 deals with the composition or formation of Legislative Councils. The total number of members of the Legislative Council in a state shall not exceed one third (1/3) of the total number of members of the Legislative Assembly of that state, but the total number of members of a Legislative Council shall not be less than 40 in any case. The Legislative Council of Uttar Pradesh has the maximum number of members (100).

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

अनु. 171 (3) के अनुसार -

सदस्यों की अर्हताएँ Qualifications of Members

संविधान के अनु. 173) के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह –

According to Article 173 of the Constitution, for a person to be elected as a member of the Legislative Council, it is necessary that he -

(i) भारत का नागरिक हो। is a citizen of India.

(ii) 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तथा,

has completed the age of 30 years. And,

(iii) ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हों। has such other qualifications as may be prescribed by any law made by the Parliament.

कार्यकाल (Term of Office)

विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधानपरिषद का सदस्य रहता है।

The Legislative Council is a permanent house. It is never dissolved, rather one-third of its members retire at the end of every second year and the same number of new members are elected in their place. Thus, each member remains a member of the Legislative Council for 6 years.

पदाधिकारी Officer

अनु. 182 के अनुसार विधानपरिषद के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। सभापति और उपसभापति इन दोनों का चुनाव विधानपरिषद अपने सदस्यों में से करती है। सभापति अपना त्याग-पत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपेना त्याग-पत्र सभापति को भेजता है।

According to Article 182, there are two main officers of the Legislative Council. The Legislative Council elects the Chairman and the Deputy Chairman from among its members. The Chairman sends his resignation to the Deputy Chairman and the Deputy Chairman sends his resignation to the Chairman.

सभापति या उपसभापति को परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना सभापति या उपसभापति को (जिसे हटाना है) न दे दी गयी हो।

The Chairman or the Deputy Chairman may also be removed from his office by a resolution passed by a majority of all the then members of the Council, provided that at least fourteen days' notice of the intention to move the resolution has been given to the Chairman or the Deputy Chairman (who is to be removed).

सदस्यों की अयोग्यता (Disqualification of Members)

संविधान के अनु. 191 –

(i) जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। या Who holds an office of profit under the Government of India or any State Government. Or

(ii) जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (Unsound Mind) घोषित कर दिया गया हो। या Who has been declared of unsound mind by a competent court. Or

(iii) जो घोषित दिवालिया (Insolvent) है। या

Who is declared insolvent. Or

(iv) जो भारत का नागरिक नहीं है। या Who is not a citizen of India. Or

(v) जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। या Who has been disqualified under a law made by Parliament. Or

(vi) जो दल-बदल के कारण अयोग्य है।

Who is disqualified due to defection.

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Making Oath by Members

(अनु. 188) –

अधिवेशन और गणपूर्ति (Meeting and Quorum)

(विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

साधारण विधेयक की प्रक्रिया Procedure of Ordinary Bills

साधारण विधेयकों को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है (अनु. 196)।

Ordinary Bills can be introduced in either House of the Legislative Assembly or the Legislative Council (Article 196).

धन विधेयक की प्रक्रिया (Procedure of Money Bills)

अनु. 198 के तहत राज्य विधानमण्डलों द्वारा धन विधेयक पारित करने के सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया। धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

Article 198 provides for a special procedure for passing money bills by state legislatures. Money bills are introduced only in the Legislative Assembly.

धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश (Recommendation) आवश्यक है। विधानपरिषद को धन विधेयक 14 दिन के अन्दर सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटाना होता है।

The recommendation of the Governor is necessary to present a money bill. The Legislative Council has to return the money bill to the Legislative Assembly with recommendations within 14 days.